

**वित्त मंत्रालय**  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
**शुद्धिपत्र**

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2004

**का.आ. 484(अ).**—भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 10 मार्च, 2004 को प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड), की अधिसूचना संख्या का.आ. 323(अ) दिनांक 10 मार्च, 2004 में पंक्ति 10 में "विशेष" के स्थान पर "गम्भीर" पढ़ा जाए।

[अधिसूचना सं.-134/2004/फ. सं. 414/66/2003-आयकर (जांच-I)]

विक्रम सहाय, उप सचिव